पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय)

शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का.नि. 240.—संविधान के अनुच्छेद्र 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) पूर्वोत्तर परिषद सिवालय, शिलांग, सलाहकार (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1997, जहां तक वे सलाहकार (विद्युत) के पद से संबंधित है, (2) पूर्वोत्तर परिषद सिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' भर्ती नियम, 1997, जहां तक वे निदेशक (जनशक्ति विकास) के पद से संबंधित है, (3) पूर्वोत्तर परिषद सिवालय, शिलांग, सलाहकार (बागवानी) भर्ती नियम, 1989, जहां तक वे सलाहकार (बागवानी) के पद से संबंधित है, (4) पूर्वोत्तर परिषद सिवालय, शिलांग, सलाहकार (सिवाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन) भर्ती नियम, 1989, जहां तक वे सलाहकार (सिवाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन) के पद से संबंधित है, और (5) पूर्वोत्तर परिषद सिवालय, शिलांग, (वर्ग 'क' और वर्ग 'ख') भर्ती नियम, 1985, जहां तक वे उप वित्त सलाहकार के पद से संबंधित है, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद सिवालय, शिलांग, में सलाहकार (विद्युत), सलाहकार (बागवानी), सलाहकार (सिवाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन), निदेशक (मानव संसाधन विकास और रोजगार) और उप वित्त सलाहकार के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले नियम बनाते हैं; नामतः

- ै 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- ु पटों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 ने विवास का कि अनुसार होंगे।
- 4. भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि : उक्त पूर्वों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोंक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - 5. निरर्हता: जिसने-
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दें सकती है।

- 6. शिथिल करने की शिक्त: जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा कियां जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 7. व्यावृत्तिः इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
4. सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन)	01*(2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	₹. 12000-375- 16500	लागू नहीं	लागू नहीं			
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	e de la companya de l	remain or a second	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
(7)		(8)		(9)	(10)			
लागू नहीं		लागू नह	Ť	लागू नहीं	लागू नहीं			
			Table material	KA CIT IS	लागू नहा			
(11)		eta e a esta en	redi nem rija Krajina					
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक		प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) :—						
अनुबंध सहित)		केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सांविधिक या स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी जो :—						
		(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों ; या						
TO WALL AND LINE AND	A more por Latin prison i Section El more	de de la companya de) पैतृक संवर्ग/विभाग में पर नियमित आधार पर हों; और	रु. 10000—15200 के नियुक्ति के बाद उस ग्रेड	वेतनमान के पद या समकक्ष पद में पांच वर्ष की सेवा कर चुके			
		(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों :						
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;						
		(ii) जल संसाधन विकास की विभिन्न शाखाओं जैसे योजना, अन्वेषण, हाइड्रोलॉजी, डिजाइन, निर्माण और जल संसाधन विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में दस वर्ष का अनुभव।						
		[केन्द्री सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अविध चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीखं को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]						

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat)

Shillong, the 27th June 2005

- G.S.R. 240.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession (1) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Group 'A'), Recruitment Rules, 1997 in so far as they relate to the post of Adviser (Power), (2) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' Recruitment Rules, 1997 in so far as they relate to the post of Director (Manpower Development), (3) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Horticulture) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Adviser (Horticulture) (4) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Irrigation, Flood Control and Water Management), and (5) the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Deputy Financial Adviser, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Adviser (Power), Adviser (Horticulture), Adviser (Irrigation, Flood Control and Water Management), Director (Human Resource Development and Employment) and Deputy Financial Adviser in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scales of pay.— The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—

more than the first fire the fire

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward calsses, ex-servicemen and other special categories, of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1'	2	3	4	5	6	
4. Advisor (Irrigation, Flood Control and Water Management)	1* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1200-375- 16500,	Not applicable		applicable
7	Asia tersio		8 4		9	10
Not Applicable		4	Not Applicable		Not Applicable	Not Applicable
	STATES ASSAU		Mercan Topograp	ACMENTS Type (C) The		100000000
11			12	Will Drag		
Deputation (incl Ferm Contract)	uding Short		ncluding short-ter		Government or U	nion Torritorio

Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - (i) Bachelors Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent.
 - (ii) Ten years' experience in different branch of water resources development such a planning, investigation, hydrology, design, construction and execution of water resources developments projects.

(Period of deputation (includingshort terms contract) including period of deputation (including short-termn contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or deaprtment of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

3 14

Not applicable

Consultation with Union Public Service
Commission necessary for filling up of post
and for amendment or relaxation of any
provision of these recruitment rules.